



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 11.05.2025

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 144/25 धारा 137(2) बीएनएस व धारा 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.05.2025 को वादी ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी अभियुक्त शाने आलम पुत्र सखावत हुसैन नि0 ग्राम महावतपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र के साथ गलत कार्य किया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 144/25 धारा 137(2) बीएनएस व धारा 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही विवरण

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शाने आलम पुत्र सखावत हुसैन नि0 ग्राम महावतपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

शाने आलम पुत्र सखावत हुसैन नि0 ग्राम महावतपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.थानाध्यक्ष श्री सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. व0उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 3.उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 384 राहुल कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
5. का0127 अरुण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
6. का0 2118 अभिषेक ढाका थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 11.05.2025

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 139/2025 धारा 137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.05.2025 को वादी ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्त इन्दरजीत उर्फ इन्द्रा पुत्र सोहन सिंह निवासी बिरला फार्म टंकी के पास थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर वादी की 16 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 139/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम इन्दरजीत उर्फ इन्द्रा पंजीकृत किया गया। दिनांक 10.05.2025 को स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बंधित अपहृता को बरामद किया गया।



कार्यवाही –

दिनांक 10.05.2025 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इन्दरजीत उर्फ इन्द्रा पुत्र सोहन सिंह निवासी बिरला फार्म टंकी के पास थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इन्दरजीत उर्फ इन्द्रा निवासी बिरला फार्म टंकी के पास थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.श्री सुमित राठी थानाध्यक्ष थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री शिवम तायल थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 3.का0 986 कृष्ण थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 4.का0 2159 आकाश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 11.05.2025

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.05.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नगीना देहात	मौ० जाकिर पुत्र वजीर नि० त्रिलोकावाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2	नगीना देहात	सतेन्द्र पुत्र सुम्मेर निवासी आसीफपुर भूरे उर्फ सैदपुरा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
3	नगीना देहात	सुम्मेर पुत्र सुकखे निवासी आसीफपुर भूरे उर्फ सैदपुरा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
4	नगीना देहात	अभिषेक पुत्र अरविन्द नि० ग्राम गाजीपुर भगवान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
5	नगीना देहात	सागर चौहान पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी झक्काकी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
6	नगीना देहात	विकास कुमार पुत्र आरेन्द्र उर्फ हिरेन्द्र निवासी झक्काकी थाना नगीना देहात बिजनौर
7	नगीना देहात	महिपाल पुत्र भारत सिंह निवासी झक्काकी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
8	अफजलगढ	सलमान पुत्र जमीर निवासी मौ० बेगमसराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट

दिनांक – 11.05.2025

थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 81/25 धारा 152 बीएनएस व धारा 66 आईटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.05.2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (एक्स) के माध्यम से एक पोस्ट प्राप्त हुई जिसमें एक अबूसाद नामक युवक पर उसके इंस्टाग्राम आईडी से आपत्तिजनक पोस्ट करने के संबंध में आरोप अंकित किये गए। पोस्ट का संज्ञान लेकर जांच की गई तो उक्त युवक की पहचान अबूसाद पुत्र फारूख निवासी ग्राम बालकिशनपुर नई बस्ती थाना शेरकोट जनपद बिजनौर के रूप में हुई। इस संबंध में थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 81/25 धारा 152 बीएनएस व धारा 66 आईटी एक्ट बनाम अबूसाद उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही विवरण

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त अबूसाद पुत्र फारूख निवासी ग्राम बालकिशनपुर नई बस्ती थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को एक रेडमी कम्पनी के मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान एक अन्य अभियुक्त हमजा पुत्र मौ0 असलम निवासी ग्राम बालकिशनपुर नई बस्ती थाना शेरकोट जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अबूसाद पुत्र फारूख निवासी ग्राम बालकिशनपुर नई बस्ती थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण

एक रेडमी कम्पनी का मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. निरीक्षक शर्मिला शर्मा पेशी, कार्यालय क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी विजयपाल थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
3. मुख्य आरक्षी राजेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 11.05.2025

थाना नहतौर पुलिस ने मु0अ0सं0 422/24 धारा 137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.12.2024 को वादिनी ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.आजम व 2.असलम पुत्रगण हारून, 2.मीना पत्नी हारून व 4. हारून समस्त निवासीगण राजो का मौहल्ला कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 422/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । दिनांक 09.05.2025 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा वादिनी की पुत्री को बरामद किया गया ।



कार्यवाही विवरण

थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आजम पुत्र हारून निवासी राजो का मौहल्ला कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आजम पुत्र हारून निवासी राजो का मौहल्ला कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री भारत सिंह, थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
2. मुख्य आरक्षी मनीष कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी रोहित कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 11.05.2025

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 184/25 धारा 309(6)/351(3) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.05.2025 को वादी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि जब वह अपनी डिस्कवर मो0सा0 सं0 UP20AJ-1585 द्वारा एंबिएंस रिसार्ट, स्योहारा से स्योहारा आ रहा था तो रास्ते में 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के साथ मारपीट कर वादी की उपरोक्त मो0सा0 व 7,500/- रुपये छीनकर भाग गए । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 184/25 धारा 309(6)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1.आकाश कुमार उर्फ सरदार पुत्र तेजपाल सिंह, 2.नितीष सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासीगण मौ0 मिलिकियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये ।



कार्यवाही विवरण

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.आकाश कुमार उर्फ सरदार पुत्र तेजपाल सिंह, 2.नितीष सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासीगण मौ0 मिलिकियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को वादी की डिस्कवर मो0सा0 सं0 UP20AJ-1585 व छीने गए 7500/- रुपये की नगदी सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.आकाश कुमार निवासी मौ0 मिलिकियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.नितीष सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासीगण मौ0 मिलिकियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

डिस्कवर मो0सा0 सं0 UP20AJ-1585 व छीने गए 7500/- रुपये की नगदी ।

अभियुक्त आकाश व नितीष का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 184/25 धारा 309(6)/351(3)/317(2) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.थाना प्रभारी अमित कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 हरिओम सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 3.उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 4.आरक्षी मोनू थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 5.आरक्षी पंकज थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 6.आरक्षी अमित थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 7.आरक्षी हेमन्त थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 11.05.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 247/25 व मु0अ0सं0 249/25 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.05.2025 को थाना चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता महजबी पत्नी मौ0 युसुफ निवासी ग्राम खेडकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गौवंशीय मांस, एक तराजू मय लोहे के बाट, एक लकड़ी का गुटका, एकचापड व एक छुरी सहित गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 247/25 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। दिनांक 02/03.05.2025 की रात्रि में पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त साजिद पुत्र नसीम निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को पुलिस मुठभेड के दौरान गौवंशीय अवशेष, अवैध शस्त्र व घटना में प्रयुक्त कार सहित गिरफ्तार किया गया तथा इसके साथी लईक पुत्र मकसूद निवासी ग्राम हातमपुर उर्फ शेखपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर सहित 03 अभियुक्तगण मौके से फरार हो गए थे। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 249/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही विवरण

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनो अभियोगों में वांछित अभियुक्त लईक पुत्र मकसूद निवासी ग्राम हातमपुर उर्फ शेखपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

लईक पुत्र मकसूद निवासी ग्राम हातमपुर उर्फ शेखपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर ।

अभियुक्त लईक का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 333/23 धारा 323/452 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 247/25 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 249/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधि0 व 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रोबिन कौशिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 जसवीर सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी धनसिंह मलिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
4. आरक्षी मौ0 सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।